न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेडा जिला–भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी :–महीपाल सिंह, आर०ए०एस०

मुकदमा संख्या :– 80/2020 प्रा०पत्र

1. श्री दिनेश पिता हेमराज जाति बलाई नि० लादूवास

––प्रार्थी।

बनाम

1. श्री मूला पिता किशना धोबी नि० लादूवास वगैरा

––विपक्षीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा०भू०रा०अधि० 1956

:: **निर्णय** ::

दिनांक:17/08/2020

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा० भू० राज० अधि01956 के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम ....लादूवास.... पटवार हल्का ....लादूवास.... भू०अ०नि० क्षेत्र ....अमली.... में उनके खाता संख्या ....857.... की आ०नं० ....(1) 1508/2 रकबा 1.03 बीघा ....(2) 1909 रकबा 3.00 बीघा.... स्थित है। उक्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थीगण अपने खाते/संयुक्त खातें की भूमि की पत्थरगढी आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक ....17/06/2020.... को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण अवलोकनार्थ से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एंव कब्जे काश्त की होने से गढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की फेरी होने का अदेंशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों खते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: **आदेश** ::

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया ग्राम ....लादूवास.... पटवार हल्का ....लादूवास.... भू०अ०नि० क्षेत्र ....अमली.... में उनके खाता ....857.... की आ०नं० ....(1) 1508/2 रकबा 1.03 बीघा ....(2) 1909 रकबा 3.00 बीघा.... कुल किता 2 रकबा .... भूमि स्थित है। के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू.अ.नि0 ....अमली.... को 650/– रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व की यथारिथति को बनाये रखते हुये मुस्तकिल बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

न :–प्रार्थना पत्र प्रति।

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा (जिला भीलवाड़ा)

उपखंड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर करेड़ा

लिपि :– तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा (जिला भीलवाड़ा)

उपखंड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर करेड़ा